



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-117/2020
दिनांक : 01.06.2020

सूचना

विश्वविद्यालय में नागपुर, पुलगाव, धामणगाव, हिंगणघाट तथा अन्य शहरों से रोज़ाना यात्रा कर कार्यालय/विभाग में आनेवाले अधिकारियों/कर्मियों को सूचित किया जाता है कि वे कार्यालय/विभाग में उपस्थित होने के लिए वर्धा शहर में ही रहने की व्यवस्था करें। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिये लोक वाहन (Public Transport) का उपयोग न करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
01/06/2020

प्रति (ईमेल द्वारा): सभी संबंधित कर्मी

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. प्रभारी, दूर शिक्षा निदेशालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली